

उ०प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ 0522-4151200

🕞 फैक्स 0522—2629284 ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रॉंक : बैंकिंग / एफ- 300 / 2023-24 / 6 36 दिनॉंक : **ड**़ मार्च , 2024

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, समस्त शाखाएं, उत्तर प्रदेश।

विषयः व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत शाखाओं से वितरित फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणों के ग्राहकों को ईएमआई में परिवर्तन/ऋण अवधि में परिवर्तन/फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणी को फिक्स्ड ब्याज दर वाले ऋणों में स्विच ओवर की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्रांक–DOR.MCS. REC. 32/01.01.003/2023-24, दिनांक–18.08.2023 के माध्यम से समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर में बैंक द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ऋणी को ईएमआई / अवधि अथवा दोनों विकल्पों की सुविधा प्रदान करने एवं स्विच ओवर की सुविधा के सम्बन्ध में बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–11.03.2024 में पारित प्रस्ताव सं0–18 में लिये गये निर्णय के कम में निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

- ईएमआई आधारित फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत ऋणों की स्वीकृति प्रदान करते समय, शाखा द्वारा उधारकर्ताओं की पुर्नभुगतान क्षमता को ध्यान में रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की अवधि के दौरान ब्याज दर में सम्भावित वुद्धि के परिदृश्य में अवधि बढ़ाने और / या ईएमआई में वृद्धि के लिए पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध रहे।
- 2. ऋण मंजूरी के समय शाखा द्वारा उधारकर्ताओं को ऋण पर प्रचलित ब्याज दर में बदलाव होने के कारण ईएमआई / अवधि अथवा दोनों में कोई भी वृद्धि होती है तो उक्त के सम्बन्ध में होने वाले सभी सम्भावित प्रभावों से उधारकर्ता को पत्र के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से एवं बैंक के पास उपलब्ध अन्य माध्यमों से तुरन्त सूचित किया जायेगा।
- ऋण मंजूरी के समय शाखा द्वारा ईएमआई आधारित फ्लोटिंग ब्याज दर वाले उधारकर्ताओं को ऋण अवधि के दौरान ईएमआई में वृद्धि या अवधि में वृद्धि अथवा दोनों ही विकल्प दिये जायेगें।
- 4. ऋण को ऋण अवधि से पूर्व आंशिक या पूर्णतः भुगतान करने पर फोर क्लोजर चार्जेज रू0 500.00 + जीएसटी ऋणी से लिये जायेगें तथा ऋणी से इस हेतु लिखित सहमति शाखा को प्राप्त करनी होगी।
- 5. फ्लोटिंग ब्याज दर वाले उधारकर्ता को ऋण की अवधि के दौरान फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में स्विच करने की एक बार अनुमति दी जायेगी तथा उपरोक्त विकल्प को पारदर्शी तरीके से ऋण स्विच करते समय ऋणी को अवगत कराया जायेगा। समय–समय पर ऐसे चार्जेज को परिवर्तित करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जायेगी तथा फ्लोटिंग से फिक्सड रेट वाले ब्याज दर को ऋणी द्वारा ग्रहण करने पर उससे ऋण स्विच चार्जेज रू० 2000.00 + जीएसटी लिये जायेगें।

क्रमशः.....2

E:\loan 12.02.2 24\d drive\BKG 2\circulars\all circulars.doc

- ऋण की अवधि बढ़ाने पर फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणों में एर्मोटाईजेशन (परिशोधन) नकारात्मक नहीं होना चाहिए।
- 7. प्रत्येक तिमाही के अन्त में उधारकर्ता के लिए एक विवरण उपलब्ध कराया जाना है जिसमें तद्दिवस तक वसूल किये गये मूलधन एवं ब्याज, ईएमआई की धनाराशि, शेष ईएमआई की संख्या एवं शेष ऋण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक ब्याज का उल्लेख किया जायेगा।
- समान मासिक किस्त वाले ऋण के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश यथोचित परिवर्तनों के साथ विभिन्न अवधियों के समान किस्त आधारित ऋणों पर भी लागू होगें।
- 9. बैंक बाहरी बेन्च मार्क से जुड़े मामलों में (यदि बैंक पर लागू हों तो) बैंक को मौजूदा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है तथा बेन्च मार्क दर परिवर्तन का ऋण दर संचरण में निगरानी के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली लागू की जायेगी।

अग्रेतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रांक–DOR.MCS. REC. 32/01.01.003/2023-24, दिनांक–18.08.2023 इस निर्देश के साथ संलग्न है कि उक्त परिपत्र का भलीभांति अध्ययन करते हुए शाखा स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा–निर्देश परिपत्र निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

संलग्नकः भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र दि0–18.08.2023

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ) प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
- मै0 मेगासाफट को इस निर्देश के साथ कि वे सीबीएस सॉफ्टवेयर में उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के अनुसार संशोधन करना सुनिष्चित करें।
- 4. महाप्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाईट पर परिपत्र को अपलोड कराना सुनश्चित करें।
- 5. समस्त महाप्रबन्धक / विभाग प्रभारी, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
- निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० के अवलोकनार्थ।
- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- 9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

E:\loan 12.02 2.24\d drive\BKG 2\circulars\all circulars.doc

प्रबन्ध वि



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

RBI/2023-24/55 DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24

August 18, 2023

All Scheduled Commercial Banks Regional Rural Banks Primary (Urban) Co-operative Banks State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)

Madam / Dear Sir,

Reset of Floating Interest Rate on Equated Monthly Instalments (EMI) based Personal Loans¹

Please refer to our <u>circular no. DBR.No.Dir.BC.10/13.03.00/2015-16 dated July 01,</u> <u>2015, Master Directions no. DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 dated September 01,</u> <u>2016, DNBR.PD.008/03.10.119/2016-17 dated September 01, 2016</u> and <u>DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 dated February 17, 2021</u> vide which the guidelines pertaining to Fair Practices Code for lenders have been issued to SCBs, NBFCs and HFCs, respectively. In terms of extant instructions of Reserve Bank of India, regulated entities (REs) have the freedom to offer all categories of advances either on fixed or on floating interest rates basis.

2. At the time of sanction of EMI based floating rate personal loans, REs are required to take into account the repayment capacity of borrowers to ensure that adequate headroom/ margin is available for elongation of tenor and/ or increase in EMI, in the scenario of possible increase in the external benchmark rate during the tenor of the

विशयमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 टेलीफोन /Tel No. 22601000 फैक्स/ Fax No. 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692 Department of Regulation, Central Office, 12th & 13th Floor, Central Office Building. Shaheed Bhagat Singh Marg, Mumbai – 400001 fel No. 22601000 Fax No. 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692 बेंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है

Caution: RBI riever sends mails. SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

¹ As defined in the <u>RBI circular No. DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18</u> on "XBRL Returns – Harmonization of Banking Statistics" dated January 04, 2018.

loan. However, in respect of EMI based floating rate personal loans, in the wake of rising interest rates, several consumer grievances related to elongation of loan tenor and/or increase in EMI amount, without proper communication with and/or consent of the borrowers have been received. In order to address these concerns, the REs are advised to put in place an appropriate policy framework meeting the following requirements for implementation and compliance:

- (i) At the time of sanction, REs shall clearly communicate to the borrowers about the possible impact of change in benchmark interest rate on the loan leading to changes in EMI and/or tenor or both. Subsequently, any increase in the EMI/ tenor or both on account of the above shall be communicated to the borrower immediately through appropriate channels.
- (ii) At the time of reset of interest rates, REs shall provide the option to the borrowers to switch over to a fixed rate as per their Board approved policy. The policy, inter alia, may also specify the number of times a borrower will be allowed to switch during the tenor of the loan.
- (iii) The borrowers shall also be given the choice to opt for (i) enhancement in EMI or elongation of tenor or for a combination of both options; and, (ii) to prepay, either in part or in full, at any point during the tenor of the loan. Levy of foreclosure charges/ pre-payment penalty shall be subject to extant instructions.
- (iv) All applicable charges for switching of loans from floating to fixed rate and any other service charges/ administrative costs incidental to the exercise of the above options shall be transparently disclosed in the sanction letter and also at the time of revision of such charges/ costs by the REs from time to time.
- (v) REs shall ensure that the elongation of tenor in case of floating rate loan does not result in negative amortisation.
- (vi) REs shall share / make accessible to the borrowers, through appropriate channels, a statement at the end of each quarter which shall at the

minimum, enumerate the principal and interest recovered till date, EMI amount, number of EMIs left and annualized rate of interest / Annual Percentage Rate (APR) for the entire tenor of the loan. The REs shall ensure that the statements are simple and easily understood by the borrower.

3. Apart from the equated monthly instalment loans, these instructions would also apply, *mutatis mutandis*, to all equated instalment based loans of different periodicities. In case of loans linked to an external benchmark under the External Benchmark Lending Rate (EBLR) regime, the banks should follow extant instructions and also put in place adequate information systems to monitor transmission of changes in the benchmark rate to the lending rate.

4. REs shall ensure that the above instructions are extended to the existing as well as new loans suitably by December 31, 2023. All existing borrowers shall be sent a communication, through appropriate channels, intimating the options available to them.

5. The above instructions are issued under sections 21, 35A and 56 of the Banking Regulation Act, 1949, sections 45JA, 45L and 45M of the Reserve Bank of India Act, 1934, and sections 30A and 32 of the National Housing Bank Act, 1987.

Yours faithfully

Santosh Kumar Panigrahy (Chief General Manager)